मध्यप्रदेश विधान सभा

जनवरी, 2019 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 10 जनवरी, 2019 (पौष 20, 1940)

समय 11.00 बजे दिन.

1. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना.

श्री पी.सी. शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 11 सन् 2018) पटल पर रखेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा, पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री प्रदीप जायसवाल, खनिज मंत्री, मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान, नीमच का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार -

(i) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संभागों, जिलों, उपखण्डों तथा तहसीलों के परिवर्तन,सृजन तथा समाप्ति) नियम, 2018,

(ii) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (अनुचित रुप से बेकब्जा किये गये भूस्वामी का पुनर्स्थापन) नियम, 2018,

(iii) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018, तथा

(iv) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018

पटल पर रखेंगे.

(5) श्री हर्ष यादव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 35 वां वाषिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री –

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार-

(i) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या-1,

(ii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन राज्य का वित्त वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या-2,

(iii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिये वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या-3,

(iv) आर्थिक क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए 2018 का प्रतिवेदन संख्या-4, तथा

(v) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या-5, एवं

(ख) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार-

(i) वित्तीय वर्ष 2017-2018 की द्वितीय छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण, एवं

(ii) वित्तीय वर्ष 2018-2019 की प्रथम छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण

पटल पर रखेंगे.

3. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

4. उपाध्यक्ष का निर्वाचन.

(1) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -
"सुश्री हिना लिखीराम कावरे, जो इस विधान सभा की सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय."
डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव का समर्थन करेंगे.

(2) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -
"सुश्री हिना लिखीराम कावरे, जो इस विधान सभा की सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय."
श्री रामलाल मालवीय, सदस्य, प्रस्ताव का समर्थन करेंगे.

(3) श्री पी.सी. शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -
"सुश्री हिना लिखीराम कावरे, जो इस विधान सभा की सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय."
श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य, प्रस्ताव का समर्थन करेंगे.

(4) श्री राजेश शुक्ला "बब्लु भैया", सदस्य, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -
"सुश्री हिना लिखीराम कावरे, जो इस विधान सभा की सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय."
श्री संजीव सिंह "संजू", सदस्य, प्रस्ताव का समर्थन करेंगे.

(5) श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -
"श्री जगदीश देवड़ा, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय."
डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, प्रस्ताव का समर्थन करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

6. राज्यपाल के अभिभाषण पर सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य द्वारा दिनांक 8 जनवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा.

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

7. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. वर्ष 2018-2019 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

" दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 64, 65, 67 तथा 69 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर बाईस हजार दो सौ सड़सठ करोड़, उनतीस लाख, पांच हजार, छह सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. "

9. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 (क्रमांक 1 सन् 2019) का *पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 9 जनवरी, 2019

---

*अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.